XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रेस्टो. 1348-तीन/15 जिला– सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.7.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता हैं । दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य	

दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक रेस्टो० 1348-II-15 /2015 जिला-सीधी

किताबबक्स पुत्र श्री सुकुल बक्स निवासी ग्राम पमरिया तहसील सिहाबल, जिला - सीधी (म.प्र.)
-- प्रार्थी

विरूद्ध

जाबुलवक्स पुत्र श्री अब्दुलवक्स निवासी ग्राम पमरिया तहसील तिहाबल, जिला सीधी (म.प्र.)
-- प्रतिप्रार्थी

म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन-पत्र

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1- यहकि, प्रार्थी का प्रकरण क्रमांक 1287-IV/08 पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.03.2015 को नियत था।

2- यहकि, नियत दिनांक 26.03.2015 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। प्रार्थी अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त् था इस कारण प्रार्थी नियत दिनांक 26.03.2015 को उपस्थित नहीं हो सका। और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया जिसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई के तीसरे सप्ताह में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना पलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से यह आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3- यहकि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि आवेदक स्वीकार प्रकरण क्रमांक 1287-IV/08 पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.03.2015 को नियत था। पुनरीक्षण पुनः स्थापित कर गुणा गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान किया जायें।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 01.06.2015

निवेदक

किताबबक्स पुत्र श्री सुकुल बक्स निवासी ग्राम पमरिया तहसील सिहाबल, जिला - सीधी (म.प्र.)
-- प्रार्थी

द्वारा अभिभाषक

कमलेश कुमार द्विवेदी